नियमावली

1.	संस्था का नाम	:	[illegible] पूरनमल मेमोरियल एजूकेशन सोसायटी ।
2.	संस्था का कार्यालय	:	डी-171, सेक्टर-27, नोएडा, जिला गौतमबुद्धनगर ।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त भारतवर्ष
4.	वित्तीय वर्ष	:	संस्था का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा।
5.	उद्देश्य	:	संस्था के स्मृति-पत्र में अंकितानुसार ही होंगे।
6.	संस्थापक सदस्य	:	~~संस्था के संस्थापक श्री~~ ....
7.	संस्था की सदस्यता	:	प्रत्येक स्त्री-पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो, नैतिक आचरण वाला हो, दिवालिया न हो, पागल न हो, सजा याफ्ता न हो, सर्वोदय विचार वाला हो, धार्मिक विचार वाला हो, संस्था का सदस्य हो सकेगा।

8. सदस्यों के वर्ग :

(अ) संरक्षक सदस्यः-कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 7 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो एवं संस्था को एक मुश्त रु0 5,000/- या अधिक दान में दे ऐसे सदस्य संस्था के संरक्षक सदस्य कहलायेंगे।

(ब) आजीवन सदस्यः-कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 7 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वह रु0 5,000/- या अधिक दान में देकर संस्था की आजीवन सदस्यता हेतु आवेदन कर सकता है। जिसे वर्तमान, संस्थापक एवं आजीवन सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदन किये जाने पर संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जा सकता है।

(स) साधारण सदस्यः-कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 7 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता है वह संस्था में रु0 500/- वार्षिक सदस्यता शुल्क के साथ एवं रुपये 101=00 ..... सदस्यता शुल्क आवेदन पत्र जमा कराने पर एवं वर्तमान संस्थापक, आजीवन एवं साधारण सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा अनुमोदन होने पर संस्था का साधारण सदस्य बन सकता है।

(द) मनोनीत सदस्यः-कोई भी व्यक्ति जो क्रमांक 7 के अनुसार संस्था का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति संस्था के हित में उसकी विशेष आवश्यकता महसूस करती हो ऐसे किसी भी व्यक्ति को प्रबन्धकारिणी समिति 03 वर्ष की अवधि के लिये अपने दो-तिहाई बहुमत से मनोनीत कर सकती है। ऐसे सदस्यों की संख्या एक समय में अधिक से अधिक [illegible] होगी तथा ऐसे सदस्यों को प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के चुनाव में मताधिकार नहीं होगा।

9.	संस्था के अंग	:	1. आम सभा/कार्यकारिणी साधारण सभा 2. प्रबन्धकारिणी समिति
10.	आम सभा का गठन	:	संस्था के ~~संस्थापक~~ संरक्षक, आजीवन, साधारण एवं मनोनीत सदस्यों का समूह ही आम सभा कहलायेगा।
11.	आम सभा के कार्य/ अधिकार व कर्तव्य	:	1. प्रत्येक 03 वर्ष बाद अपने सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव करेगी। 2. वार्षिक आय एवं व्यय का हिसाब पास करना। 3. संस्था की नीति निर्धारण करना। 4. वार्षिक बजट स्वीकार करना। 5. भ्रष्ट सदस्य को संस्था से निकालने का अधिकार आम सभा को होगा।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक/ [illegible]
कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
मेरठ

17-04-10

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स मेरठ मण्डल, मेरठ